कार्यालय, चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी, जोधपुर

Email-chopasni.100yrs@gmail.comWebsite:www.chopasnishikshasamiti.com
Mobile No-8619676200

लीज पर दी जाने वाली भूमि की शर्तें

1. चौपासनी शिक्षा समिति के अधीन संचालित महाराजा हनवंत होटल मैनेजमेंट संस्थान जो कि चौपासनी स्कूल के पीछे, बिड़ला स्कूल के पास, डाली बाई का मन्दिर के पास, झंवर रोड़, चौपासनी, जोधपुर में स्थित है। यह परिसर (मय 20 कमरे और 20 स्विज टेंट) 03 साल तक के लिए लीज पर दी जायेगी।
2. समारोह स्थल को महाराजा हनवंत होटल मैनेजमेन्ट संस्थान के नाम से जाना जायेगा।
3. निर्धारित प्रतिमाह किराया राशि के अनुसार 06 (छह) माह की किराया राशि एडवांस में अमानत राशि के रूप में चौपासनी शिक्षा समिति के नाम से डी.डी. बनाकर जमा करवानी होगी। लीज धारक द्वारा लीज समाप्ति पर अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् बिना ब्याज के जमा अमानत राशि लौटा दी जायेगी।
4. इच्छुक फर्म को 500 रुपये के शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र समिति कार्यालय से प्राप्त करना होगा। आवेदनकर्ता दिनांक 28 सितंबर 2024 तक बंद लिफाफे में सायं 04 बजे तक चौपासनी शिक्षा समिति कार्यालय में आवेदन जमा करा सकते हैं।
5. आवेदनकर्ता को बोली में भाग लेने हेतु राशि रुपये 25 हजार की धरोहर राशि डी.डी. के रूप में आवेदन–पत्र के साथ अलग से जमा करवानी होगी। यह धरोहर राशि बोली समाप्ति पर पुनः लौटा दी जायेगी।
6. दोषी ठेकेदार व नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि) बोली लगाने हेतु मान्य नहीं है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हेतु आता है तो उसे बोली लगाने हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. आमंत्रित निविदादाताओं की उच्चतम बोली के आधार पर परिसर आवंटित किया जायेगा।
8. यदि उच्चतम बोलीदाता तय समय सीमा में सिक्योरिटी राशि (अमानत राशि) जमा नहीं करवाता है या किसी प्रकार की आनाकानी करता है तो द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को परिसर आवंटित किया जा सकता है या पुर्नप्रकिया अपनाई जा सकती है।
9. चौपासनी शिक्षा समिति और इच्छुक फर्म/किरायेदार के मध्य सशर्त 11 माह का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जायेगा। 11 माह के पश्चात् पुनः अनुबंध को रिन्यू किया जायेगा।
10. सफल निविदादाता को एक वर्ष की किराया राशि के हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम 12 चैक समिति कार्यालय में जमा करवाने होंगे। चैक अनादरित होने पर समिति लीज धारक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए राशि वसूल कर सकेगी।
11. किराया राशि प्रतिमाह अदा करनी होगी। यदि किराया राशि 03 माह तक जमा नहीं कराई गई तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी व लीज परिसर लीज धारक से खाली करवाया दिया जायेगा।

मानद सचिव
चौपासनी शिक्षा समिति
चौपासनी, जोधपुर

12. निर्धारित किराया राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
13. संस्था को देरी से किराया/लीज राशि भुगतान करने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
14. लीज की अवधि चौपासनी शिक्षा समिति बढ़ा या घटा सकती हैं।
15. आवंटित परिसर में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। लीज भूमि से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे बिजली शुल्क, पानी शुल्क, समस्त प्रकार के टैक्स, कर्मचारियों का वेतन आदि लीज धारक फर्म की रहेगी। लीज भूमि को साफ–सुथरा रखना होगा।
16. यह परिसर को किसी सार्वजनिक उत्सव, विवाह इत्यादि की लिए दिया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार के असामाजिक कार्य, गैरकानूनी कार्य/व्यापार नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे न्यूसेंस पैदा हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी किरायेदार फर्म की रहेगी। किरायेदार इस परिसर को किसी अन्य को उपपट्टे/सबलेट पर नहीं देगा।
17. समारोह के लिए केवल लोन लगी हुई खुली जमीन के पास में स्थित निर्मित्त एरिया ही उपयोग में लिया जायेगा।
18. लोन चार दीवारी व निर्मित्त क्षेत्र की सुरक्षा व प्रबन्ध नक्शा अनुसार लीज ग्रहिता को करना होगा।
19. लीज धारक को लीज पर दी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवा सकेगा, निर्माण की आवश्यकता हो तो उसके लिए लिखित में अपना प्रस्ताव समिति को प्रस्तुत करेंगे। जिस पर इस कार्य हेतु समिति के समक्ष निर्माण सम्बन्धित प्रस्ताव रखकर उस विचार–विमर्श कर प्रस्ताव पारित होने व निर्माण की मंजूरी जारी होने पर ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। करवाया गया निर्माण कार्य चौपासनी शिक्षा समिति की संपत्ति होगी।
20. लीज धारक लीज अवधि समाप्त होने पर भूमि को रिक्त करता है तो उसे सौंपी गई स्थिति में ही पुनः समिति को लौटाना होगा।
21. यदि फर्म/किरायेदार परिसर को खाली करना चाहे तो तीन माह पूर्व चौपासनी शिक्षा समिति को सूचना/नोटिस देना होगा।
22. लीज धारक द्वारा लीज अवधि के दौरान उपर्युक्त शर्तो में से किसी शर्त का उल्लघंन करने पर लीज/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति या मुआवजा के रूप में ठेकेदार को चौपासनी शिक्षा समिति द्वारा कोई भी व किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करेगी।
23. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
24. सर्वाधिकार चौपासनी शिक्षा समिति के अधीन रहेंगे।

मानद् सचिव
चौपासनी शिक्षा समिति
चौपासनी, जोधपुर